

F.NRC/NCTE/F-7/RJ-1093/2007 ४५१९-२१

APN 0 3 8 4 3

Date: 17/08/07

ORDER

WHEREAS in terms of Section 15(1) of the NCTE Act, 1993, **Choudhary Parmaram Godara Teacher Training College, Nohar Hisar Bye Pass, Teshsil- Bhadra, Distt.- Hanumangarh (Raj.)** has submitted an application (code No.03873) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for **STC Course** of two year duration with an annual intake of **50 (Fifty Only)** students.

2. AND WHEREAS on scrutiny of the application submitted by the institution, the documents attached therewith the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and videography, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary Teacher Education programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 15(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition **Choudhary Parmaram Godara Teacher Training College, Nohar Hisar Bye Pass, Teshsil- Bhadra, Distt.- Hanumangarh (Raj.)** for conducting **STC Course** of two year duration with an annual intake of 50 (Fifty Only) students under clause 7(12) of Regulation dated 13.01.2006 subject to fulfillment of the following:

- (i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund account into a joint account to be operated along with an official of the Northern Regional Committee.
- (ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and the State Government etc, wherever applicable.

5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. If the institution contravenes any of the above conditions or any of the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

Cont.....02

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)
Jurisdiction: U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail: nrc@ncte-in.org

Website: http://www.ncte-in.org

::02::

7. The institution shall maintain & update the Website as per provisions of NCTE Regulations.

8. The staff appointed is to be rectified by the University and the copy of same is to be submitted to this office for records.

This issues with the approval of the competent authority.

By order,

12/6
Regional Director

The Manager to Govt. of India →
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi-110 054

Copy to

1. The Principal, **Choudhary Parmaram Godara Teacher Training College, Nohar Hisar Bye Pass, Teshsil- Bhadra, Distt.- Hanumangarh (Raj.)**.
2. The Secretary, Dept. of Elementary Education and literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt.of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001,
3. The Secretary, Education, Govt .of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
4. The Registrar; Departmental Examination, Bikaner, Rajasthan.
5. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Rajasthan, Directorate, Bikaner (Rajasthan).
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bhadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
7. Office order file/Institution file.

LQh
Regional Director

m/c

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(6)शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 पार्ट-II

जयपुर दिनांक: 27/8/07

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत-

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 19 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2007-08 हेतु नियमानुसार काउन्सिलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1	श्री मूल चन्द मीणा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय लालसोट, दौसा	STC	50
2	अलंकार महिला टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल बिरानावाला सिरसी रोड, जयपुर	STC	50
3	डॉ० राधाकृष्णन टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, कुचामन सिटी, नागौर	STC	50
4	महाराणा प्रताप एन टी.टी. विद्यालय, बसेडी, धौलपुर	NTT	50
5	लक्ष्मीबाई महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जमवारामगढ़, जयपुर	NTT	50
6	आनन्द शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, भरतपुर	STC	50
7	वरदा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, नीम का धाना, सीकर	STC	50
8	चौधरी परमाराम गोदारा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नोहर हिसार बाईपास भादरा, हनुमानगढ़	STC	50
9	गैन्धी देवी शिक्षण संस्थान, जमवारामगढ़, जयपुर	STC	50
10	एस.एन. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, धौलपुर	STC	50
11	रावत महिला बी.एड. कॉलेज करणी विहार हीरापुरा, जयपुर	STC	50
12	इंडियन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चुरु	STC	50
13	मानव मंगल वामेन्स कॉलेज ऑफ एज्युकेशन संगरिया, हनुमानगढ़	STC	50
14	गीता को-एज्युकेशन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घडसाना, श्रीगंगानगर	STC	50
15	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद नर्सरी टी.टी. स्कूल, बसेडी, धौलपुर	NTT	50 (सीट वृद्धि)
16	श्री रघुनाथ ऐलीमेंट्री टीचर एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट दातारामगढ़, सीकर	STC	50
17	रामानन्द टी.टी. कॉलेज महावीर कालोनी, कोटा	STC	50
18	मठाराजा सूरजमल ऐलीमेंट्री टी.टी. कॉलेज, भरतपुर	STC	50
19	शमदुलारी महिला शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल हिन्दोन् सिटी करौली	STC	50

ग्रामश: 12

- उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।
1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
 2. शैक्षिक सत्र 2007-08 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात् सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
 3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुराचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, गूढ़ापूर्व रोगियों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुराध किया जायेगा।
 4. पाठ्यक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
 5. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुराध रखी जायेगी।

शासन उप सचिव
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षार्थ, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
6. सगन्धक, बीएसटीसी/एनटीटी 2007, महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, अजमेर।
7. संबंधित संस्था
8. रक्षित पत्रायली ।

शासन उप सचिव

कार्यालय आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं./शिप्र/प्रवेश/4489/

दिनांक:- 30.8.07

समन्वयक,
बी.एस.टी.सी./एन.टी.टी.,
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,
अजमेर।

विषय :- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिये प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने हेतु।

सन्दर्भ :- उप शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प-15(5) शि/प्र-1/अ/प्र/03 पत्र/II दिनांक 27/8/07

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्र दिनांक 27/8/07

के द्वारा निदेशानुसार पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई नवीन 1979-88 संस्थाओं को एस.टी.सी./एन.टी.टी. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2007-08 में एवं संस्थाओं को 50 सीटों के साथ प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। संलग्न पत्र में दिए गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे तथा पत्र में वर्णित प्रवेश के सम्बंध में विन्दुओं की पूर्णतया पालना की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भारत सरकार की सेवार्थ **BOOK-POST**

उप निदेशक (प्रशिक्षण),
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) को उनके पत्र दिनांक 27/8/07 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर।

संबंधित संस्था **धौधरी परमाराम गोदारा**

प्रारंभिक शिक्षा
राजस्थान-बीकानेर

टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नोहर-
हिसार बाईपास भादरा, हनुमानगढ़

उप निदेशक (प्रशिक्षण),
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

117

विशेष नोट :-

क्र.सं. 3 पर अंकित संस्था को भेज कर लेख है कि आपकी संस्था को NCTE के द्वारा सीटों का आवंटन किया गया है कि एक प्रति तुरन्त आयुक्तालय के प्रशिक्षण अनुभाग को भिजवाने की व्यवस्था करवावे।